न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– मुन्नी देवी बनाम छिगन लाल

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 29 वर्ष 2022

दिनांक	आज्ञा पत्र	
25.09.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया कि उभय पक्ष को पाबन्द करते हुए टी0आई0 कंफर्म करें। बहस के दौरान वकील अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति है। दो भाईयों ने अपने दोनों भाईयों को विमोचन पत्र करवा दिया है। प्रार्थीया के हिस्से पर हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत टी0आई0 चलने योग्य नहीं है इसलिए टी0आई0 खारिज की जावे। हमने वकील उभय पक्ष की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना–पत्र 212 आरटीएक्ट पेश करने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.22 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाकर राजस्व ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1812, 1813, 1814 कुल किता 8 कुल रकबा 3.7600 है0 ख0नं0 1808/1 कुल रकबा 0.4200 है0 के वर्तमान राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया था। चूंकि प्रार्थीया द्वारा वाद बाबत उद्घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धरा 88, 188 राज0काश्त0अधिनियम पेश किया है, जो वर्तमान में तनकी में विचाराधीन चल रहा है। तनकी निर्धारण के वाद साक्ष्य/सबूत पेश होने पर वाद का मेरिट के आधार पर निस्तारण किया जाना है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम शिश्यू प0ह0 शिश्यू तहसील दांतारामगढ़, सीकर की वादग्रस्त आराजी ख0नं0 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1812, 1813, 1814 कुल किता 8 कुल रकबा 3.7600 है0 ख0नं0 1808/1 कुल रकबा 0.4200 है0 भूमि में मूल वाद के निस्तारण तक भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	